

(32) / 1.45 P.M | 6.5.15

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र - 6
(नियम 37 देखिये)

नाम निर्देशन-पत्र

जिला देवघर शहरीस्थानीय निकाय देवघर नगर निगम

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 से वार्ड पाँच वार्ड पार्षद / सदस्य
* निर्वाचन क्षेत्र संख्या X से वार्ड पाँच महापौर / अध्यक्ष के लिये निर्वाचन।
मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता / करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम मोसीना बेगम

पिता / माता / पति का नाम मो० मनोवर अंसारी
डाक पता देवघर जिला देवघर जो नगरपालिका देवघर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 की मतदाता सूची में क्रमांक 596 भाग संख्या 35/2 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम अशोक कुं० दास है जो जिला देवघर नगरपालिका देवघर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 की मतदाता सूची में क्रमांक 365 भाग संख्या 35/1 पर प्रविष्ट है।

अशोक कुं० दास
प्रस्तावक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

स्थान देवघर

तारीख 06/05/2015

मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट के प्रस्ताव का समर्थन करता / करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम मोसीना बेगम

पिता / माता / पति का नाम मो० मनोवर अंसारी
डाक पता देवघर जिला देवघर
जो नगरपालिका देवघर नगर निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 की मतदाता सूची में क्रमांक 596 भाग संख्या 35/2 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम मो० मनोवर अंसारी है जो जिला देवघर नगरपालिका देवघर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 की मतदाता सूची में क्रमांक 595 भाग संख्या 35/2 पर प्रविष्ट है।

समर्थक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
मो० मनोवर अंसारी

स्थान देवघर

तारीख 06/05/2015

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता / देती हूँ और एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि:-

- (क) मैंने 29 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- (ख) मेरा नाम तथा मेरे पिता / माता / पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया है।

- (ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त निर्वाचन के लिये अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।
- (घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करता / करती हूँ तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है।

स्थान..... देवर
 तारीख..... 06/05/2015

मोक्षीनत वेगम
 अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशानह

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन-पत्र का क्रमांक..... 32
 यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में तारीख..... 06/05/2015 को..... 1:45 pm (बजे) अभ्यर्थी/ प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख..... 06/05/2015

15.15
 निर्वाची पदाधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012 के नियम 37.के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख..... 06/05/2015
 समय..... 1:45 pm

15.15
 निर्वाची पदाधिकारी का
 हस्ताक्षर व मुहर
 झारखण्ड नगर निगम पुनर्व 2015

2. (क) दिनांक 09.02.2013 तक या को, मेरे 7 संतान थी जो जीवित हैं तथा जिनके नाम निम्न प्रकार हैं -
 (यदि कोई संतान गोद दी गई है तो उसका भी उल्लेख करें)

नाम	जन्म तिथि
(i) मो० शान अंसारी	25/07/2006
(ii) मो० रैदान अंसारी	01/09/2007
(iii) मो० अयान अंसारी	20/09/2012
(iv) /	
(v) /	



(प्रपत्र 24 संसाधित)

नाम निर्देशन पत्र के साथ अन्वयी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के सन्त
प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

Vol. No. 2154
Date 08.05.2015



मै मोसीना बेगम पिता/पति मो० मनोवर आसारी उम्र 29 वर्ष
देवघर नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 35 मुहल्ला X पोस्ट देवघर
धाना कुवडी जिला देवघर झारखण्ड का निवासी हूँ तथा उपरोक्त निर्वाचन में सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान
और निम्न प्रकार से शपथ लेता हूँ कि :-

- मै अपना नाम निर्देशन पत्र नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 35 से पार्षद/ मुख्तार/ अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ/रही हूँ
- मेरा नाम नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत देवघर के वार्ड संख्या 35 की मतदाता सूची के क्रमांक 596 पर दर्ज है तथा इसके अलावे नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है। यह भी कि राज्य या राज्य के बाहर के अन्य किसी नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
- मेरा सम्पर्क दूरभाष नम्बर 7050840455 है, तथा ईमेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं है।
- Permanent Account Number (PAN) तथा Income Tax दाखिल करने की स्थिति निम्नवत् है :

क्रम संख्या	नाम	PAN	वित्तीय वर्ष जिसमें अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है।	आयकर रिटर्न में दिखाया गया कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	पति/पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5. अपराधिक मामलों का विवरण :
मै किसी अपराध के लिए आरोपित हूँ/ आरोपित नहीं हूँ जिसमें दो साल या अधिक का कारावास का प्रावधान है तथा मुकदमा/ मुकदमों लम्बित है जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप गठित किया जा चुका है।
यदि शपथकर्ता ऐसे किसी अपराध का दोषी है तो वह निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा :

(i) मेरे विरुद्ध निम्नांकित मामले लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा सक्षम न्यायालय में मेरे विरुद्ध आरोप गठित हो चुका है

A	प्राथमिकी संख्या (थाना, जिला, राज्य का नाम एवं पूर्ण व्यौर)	लागू नहीं
B	संबंधित कानून की धारा जिसके तहत आरोपित है, का संक्षिप्त व्यौर	लागू नहीं
C	न्यायालय का नाम, केस नम्बर तथा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की तिथि	लागू नहीं
D	न्यायालय का नाम जहाँ आरोप गठित हुआ है	लागू नहीं

E	आरोप गठित होने की तिथि / तिथियाँ	लागू नहीं
F	क्या किसी सक्षम न्यायालय ने सभी या किसी कार्यवाही को stay करने का आदेश दिया है।	लागू नहीं

(ii) निम्नांकित मामला / मामले मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें न्यायालय ने सजाान ले लिया है (उपर अंकित काण्डका (i) को छोड़कर)

A	न्यायालय का नाम, केस नम्बर तथा सजाान लेने की तिथि	
B	उन अधिनियमों, धाराओं तथा आरोपों का पूर्ण व्यौरा जिसमें न्यायालय ने सजाान लिया है	लागू नहीं
C	अपील या रीविजन की तिथि यदि उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है	लागू नहीं
D	क्या अपील या रीविजन के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया है	लागू नहीं
E	यदि हाँ तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि	लागू नहीं

(iii) क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छ माह से अधिक की अवधि के लिए कभी कारावास या अर्ध दण्ड से दंडित किए गए हैं

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें

A	न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दण्डित किए गए हैं	लागू नहीं
B	दण्डित किए जाने की तिथि तथा केस नम्बर	लागू नहीं
C	किए गए अपराध की प्रकृति (अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)	लागू नहीं
D	दिया गया दण्ड	लागू नहीं
E	कारावास में रहने की अवधि (यदि कोई हाँ तो)	लागू नहीं
F	कारावास से मुक्त होने की तिथि	लागू नहीं

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील / रीविजन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है या नहीं :

A	अपील संख्या / रीविजन संख्या का विवरण	लागू नहीं
B	न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील / रीविजन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है	लागू नहीं
C	क्या दाखिल अपील / रीविजन पत्र निष्पादित हो चुका है या लम्बित है	लागू नहीं
D	यदि निष्पादित है तो निष्पादन की तिथि तथा पारित आदेश का संक्षिप्त व्यौरा	लागू नहीं
E	क्या अपील / रीविजन के विवरण के दौरान कोई जमानत दिया गया	लागू नहीं
F	यदि हाँ तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि	लागू नहीं

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किए गए हैं, यदि हाँ तो निम्न व्यौरा दें :-

A	न्यायालय जिसके द्वारा दोष मुक्त किए गए हैं	लागू नहीं
B	आरोप की प्रकृति एवं केस नम्बर (अधिनियम एवं धारा का उल्लेख करें)	लागू नहीं

(घ) क्या देश के भीतर किसी राजनीतिक पराध से भिन्न किसी अपराध के लिए न्यायालय ने IPC या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोई आदेश पारित किया है, यदि हाँ तो निम्न व्यौरा दें :-

A	क्या Cr.P.C. की धारा 109 या धारा 110 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए बंध पत्र देने का आदेश दिया गया है	लागू नहीं
B	यदि हाँ, तो केस नम्बर एवं तिथि तथा न्यायालय का नाम	लागू नहीं
C	क्या ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट तो नहीं दिया गया है	लागू नहीं
D	क्या किसी आपराधिक कदम का अभियुक्त होने के कारण छ माह से अधिक समय से फरार है	लागू नहीं

6. चल परिसम्पत्ति का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा।
 नोट : 2 यदि कोई धन जमा है या निवेश किया गया है तो उसका पूर्ण व्यौरा जिसमें क्रम संख्या, कुल राशि, जमा करने की तिथि, स्कीम का नाम, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का नाम एवं उसके ब्रांच का नाम का उल्लेख किया जाएगा।
 नोट : 3 स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कम्पनी या गैर सूचीबद्ध कम्पनी का यदि कोई बॉन्ड या शेयर/डिबेन्चर खरीदा गया है तो स्टॉक एक्सचेंज की अद्यतन बाजार मूल्य को बताना होगा तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में खातों के अनुसार बताना होगा।
 नोट : 4 आश्रितों से आशय वही है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75A के Explanation (V) में वर्णित है।
 नोट : 5 प्रत्येक निवेश के सक्षम में उसकी राशि सहित अलग अलग तथा पूर्ण व्यौरा दिया जाना है।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	नकद					
ii	बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर वित्तीय संस्थानों में जमा धन राशि का व्यौरा (FDR, STDR में, आवृत्ती जमा में, बचत खाता में आदि)	2000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	निवेश का व्यौरा (बॉन्ड, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फंड तथा अन्य आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iv	अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश जैसे N.S.S., Postal Saving बीमा पॉलीसी, तथा अन्य इसी प्रकार का निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
v	Personal Loan या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान या ट्रस्ट या सोसाइटी को दिया गया लोन जो बाद में उससे प्राप्त किया जाना है तथा उसकी राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vi	मॉडल कहन/वायुयान, पानी जहाज या नाव (कम्पनी, मॉडल, मिश्रण संख्या, खरीदने का वर्ष तथा उसका मूल्य आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vii	गहने, बुलियम तथा अन्य रत्न (भार तथा अद्यतन बाजार मूल्य)	लगभग 4 मर 120000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
viii	अन्य परिसम्पत्तियों जैसे दावे (claims) की कीमत/ ब्याज आदि।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ix	Gross कुल मूल्य	122000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

7. अचल परिसम्पत्तियों का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए।
 नोट : 2 प्रत्येक भूमि, भवन, अपार्टमेंट, प्लॉट आदि का व्यौरा अलग-अलग दिया जाए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	कृषि भूमि, उसकी अवस्थिति तथा खाता, प्लॉट नम्बर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रकबा (एकड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरतनी सम्पत्ति है या स्वयं खरीदा गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	उस जमीन पर कोई निवेश जैसे निर्माण आदि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	यदि कृषि भूमि अवस्थिति, खाता-प्लॉट नम्बर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरानी सम्पत्ति है या स्वयं खरीदा गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वयं खरीदा गया है तो खरीदने की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	खरीद के समय उसका मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	उस जमीन पर कोई निवेश जैसे निर्माण आदि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	व्यवसायिक भवन (अपार्टमेंट, प्लॉट तथा उसकी अवस्थिति)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	Built-up Area का रकबा (स्क्वायर फीट में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरानी परिसम्पत्ति है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	खरीद के समय परिसम्पत्ति का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	उस परिसम्पत्ति को विकसित करने में कोई निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iv	भवन (अपार्टमेंट, प्लॉट आदि तथा उसकी अवस्थिति एवं खाता-प्लॉट नम्बर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों/ बकाया

नोट: कृपया प्रत्येक बैंक, वित्तीय संस्थान, व्यक्तिगत देनदारी तथा सन्निहित राशि का अलग-अलग ब्यौरा दे :

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण (बैंक/ वित्तीय संस्थान का नाम, ऋण की प्रकृति तथा ऋण की कुल राशि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अन्य व्यक्तियों या संस्थानों की देनदारी (नाम, ऋण का प्रकृति तथा कुल राशि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य देनदारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सभी देनदारी/ऋण की कुल राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	सरकारी देयता आवास के	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पेशे एवं व्यवसाय का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जमानत के लिए देयता तथा विभाग का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिजली के लिए देयता तथा विभाग का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
परिवहन/वाहन के लिए देयता तथा विभाग का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आयकर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सम्पत्ति कर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवाकर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नगरपालिका के कर की देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री कर की देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी प्रकार की सरकारी देयता की कुल राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य देयता जिसमें विवाद हो (पूरी राशि तथा प्राधिकारी का नाम जहाँ विवाद लम्बित है)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9. पेशा एवं व्यवसाय का पूर्ण व्यौर :-

(क) स्वयं गृहणी
 (ख) पत्नी दुर्गा का दुका

10. शैक्षिक योग्यताएँ निम्नलिखित हैं :-

पंचम पास
श्री गांधी विद्या मंदिर, कुनुसतुरिया, कॉलेजरी वर्धमान

पत्न, स्वतः/विश्वविद्यालय/शास्त्रान का नाम, डिप्लोमा/डिग्री/कोर्स का नाम जिस वर्ष वह कोर्स पूरा किया गया था उनका भी पूरा नाम लिखें।



सत्यापन

अभिसाक्षी

मोसीना बेगम

मैं उपरोक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि -
 (क) मैं किसी भी मामले में सजायापना नहीं हूँ और न ही कोई मामला मेरे विरुद्ध लम्बित है सिवाय कण्डिका 5 के।
 (ख) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों के ऊपर कोई भी दंडनदारी या देयता या ऋण नहीं है सिवाय कण्डिका 7 के।
 (ग) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों का पास और कोई परिसम्पत्ति नहीं है सिवाय कण्डिका-6 के।

वर्ष 2015 के May दिन को 6th स्थान पर सत्यापित किया।

मोसीना बेगम
 शपथकर्ता

अभिसाक्षी

मोसीना बेगम

नोट 1: शपथ पत्र पत्र की Commissioner या प्रथम श्रेणी के दफ्तरदारों या नोटरी पब्लिक के सम्मति किया जाता है।

नोट 2: लघु कॉलेज भर हुए होने चाहिए तथा कोई भी कॉलेज छाती नहीं होने चाहिए। यदि किसी संद में अतिरिक्त करना है तो उस कॉलेज में छाप लिखना चाहिए।

Identified by me
Jayprakash Mandel
Advocate
06/05/15

